10/7/2021

पत्रावली पेश की। वकील उमर खान एवं अभिभाषक गोविन्द सिंह लोधा मौजूद। शिकायत कर्ता एवं वकील मुल्ला खान मौजूद। कोर्ट में एवं अभिभाषक सिंघवी मौजूद। फर्जी का लगातार कोर्ट T.I. सीपी चल रही है जिसमें लगान भरी है इस लगान पर कोर्ट ऑफिसर ने प्रार्थी को इस लगान से कोर्ट आज्ञा से. प्राप्त नहीं है इसलिए T.I. लम्बित पत्रावली प्रार्थी लगा कोर्ट लेकर नहीं from आगे चूंकि पूर्व T.I. से मांगा व रिकार्ड की सामग्री पूर्व से कागज का अभाव है इसे रिकार्ड में प्राप्त चलान नहीं है इसलिए 5 माह में वापसी हेतु पत्रावली में लगाने की आज्ञा है अतः पत्रावली कम अभिलेखागार में भेजा जाए।

उपखण्ड अधिकारी
बदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:34:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner